

जल संसाधन विभाग

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./गणना-170/11-12/...../राँची, दिनांक:.....

प्रेषक:

ई. राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभि.)

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो.-हिन्, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन पंचम लघु सिंचाई योजनाओं की गणना कार्य, प्राकलित राशि रु. 3,43,74,260 (रूपये तीन करोड़ तैतालीस लाख चौहत्तर हजार दो सौ साठ) मात्र से संबंधित पत्रांक-24 दिनांक-13.08.2017 द्वारा निर्गत स्वीकृति आदेश में आंशिक संशोधन के संबंध में।

1. केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन पंचम लघु सिंचाई योजनाओं की गणना कार्य, प्राकलित राशि रु. 3,43,74,260 (रूपये तीन करोड़ तैतालीस लाख चौहत्तर हजार दो सौ साठ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक-24/15-16 प्र0स्वी0 दिनांक-13.08.2015 द्वारा प्रदान की गई।
2. प्रशासनिक स्वीकृति की कंडिका-13 के अनुसार स्वीकृत कार्य पर होने वाला व्यय की राशि बजट शीर्ष "4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय -लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-उप शीर्ष -03-रेसनलाईजेशन ऑफ माइनर इरीगेशन स्टैटिस्टिक-विस्तृत शीर्ष-07-अन्य " अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध के अंतर्गत विकलनीय होगा।
3. वित्तीय वर्ष 2017-18 में विषयांकित कार्य हेतु नए शीर्ष का प्रावधान किया गया है जिसके आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु शीर्ष में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:-

स्वीकृत्यादेश में अंकित बजट शीर्ष	प्रतिस्थानित बजट शीर्ष
(1) 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-उप शीर्ष-03-रेसनलाईजेशन ऑफ माइनर एरिगेशन स्टैटिस्टिक-विस्तृत शीर्ष-07-अन्य	(1) 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-उप शीर्ष-37-रेसनलाईजेशन ऑफ माइनर एरिगेशन स्टैटिस्टिक-विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय (50C470200796370759)
	(2) 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-लघु शीर्ष-101-सतही जल-उप शीर्ष-37- रेसनलाईजेशन ऑफ माइनर एरिगेशन स्टैटिस्टिक -विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय (50C470200101370759)

स्वीकृत्यादेश की अन्य कंडिकाएँ यथावत् रहेगी।

4. संशोधन प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
5. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
6. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।



झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./गणना-170/11-12/...../राँची, दिनांक:.....
प्रतिलिपि: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड का दो अतिरिक्त मूल प्रतियाँ के साथ
महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ/योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./गणना-170/11-12/...../राँची, दिनांक:.....
प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार, पदाधिकारी, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./गणना-170/11-12/56/17183/राँची, दिनांक: 14.11.2017
प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग,
राँची/मुख्य अभियंता योजना मॉनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/ उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन
विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका/गणना आयुक्त-सह-पंचम लघु सिंचाई
योजनाओं की गणना, झारखण्ड, राँची/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई/सभी कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु
प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

14/11/2017
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

14/11/2017